दिनांक–17.09.2025 (बुधवार) को सचिव कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में विभागीय पदाधिकारियों के साथ लंबित एवं महत्वपूर्ण मामलों से संबंधित समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही :–

पुरातत्व निदेशालय

1. केंद्रीय सुरक्षित घोषित स्थल अशोक स्तम्भ लौरिया, लौरिया नंदनगढ़ स्तूप एवं केसरिया स्तूप के वर्तमान स्वरूप का आकलन करते हुए तीनों स्थलों का विडियो बनाने का निदेश दिया गया ताकि मुख्य सचिव के समक्ष PPT के माध्यम से प्रस्तुत किया जा सके।

2. बलिराजगढ़ पुरास्थल के बाहरी आवरण के जीर्णोद्धार हेतु भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, पटना अंचल, पटना एवं जिला पदाधिकारी, मधुबनी को बाहरी आवरण के कार्य कराने में सहयोग प्रदान करने हेतु पत्र देने का निदेश दिया गया।

3. गोलघर रासायनिक संरक्षण कार्य हेतु भवन निर्माण विभाग से समन्वय स्थापित कर अग्रेतर कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।

4. 56 सुरक्षित घोषित पुरातात्विक स्थलों में से 10 स्थलों का पर जहाँ पर लोगों का आवागमन अधिक हो वैसे जगहों पर ही यथाशीघ्र ग्लोसाइनएजेज लगाने का निदेश दिया गया साथ ही चयनित सूची की जाँच कर अधिष्ठापन कराने का भी निदेश दिया गया।

5. बालगुदर (लखीसराय) पुरास्थल के चहारदीवारी निर्माण के लिए जिला पदाधिकारी, लखीसराय को प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है लेकिन अभी तक कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है इस संबंध में जिला पदाधिकारी को स्मार पत्र देने का निदेश दिया गया। पत्र की प्रतिलिपि सहायक संग्रहालयाध्यक्ष, लखीसराय एवं जिला कला संस्कृति पदाधिकारी को देने का भी निदेश दिया गया।

6. कहलगाँव पुरास्थल का राजस्व विवरणी प्राप्त कर ली गई है। सुरक्षित घोषित करने के लिए प्रथम अधिसूचना निर्गत करने का निदेश दिया गया।

7. मुण्डेश्वरी देवी मंदिर (कैमूर) के बारे में बताया गया कि वहाँ पर लोगों का आवागमन ज्यादा मात्रा में होता है वहाँ पर नागरिकों की मूलभूत सुविधाओं की आवश्यकता है। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण संस्थान, पटना अंचल को इस हेतु पत्र निर्गत करे कि वे मूलभूत सुविधाओं के विकास करें अथवा बिहार सरकार कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार को करने की अनुमति प्रदान करें।

8. चिरांद पुरास्थल के संबंध में योजना को भवन निर्माण विभाग से समन्वय स्थापित कर शीघ्र तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर आवश्यक कार्रवाई करने का निदेश दिया गया तथा

निदेशक पुरातत्व को इसकी विस्तृत जानकारी प्राप्त कर आवश्यक कार्रवाई करने का भी निदेश दिया गया।

9. सुरक्षित घोषित पुरातात्विक स्थल ताराडीह बोधगया में पुरातात्विक उत्खनन का कार्य वर्ष 1982 से 1992 तक हुआ लेकिन वहाँ का उत्खनन प्रतिवेदन नहीं लिखा गया है। स्थल चहारदीवारी से संरक्षित है इस स्थल को पर्यटको को आकर्षित करने के दृष्टिकोण से एक समेकित विकास हेतु यथाशीघ्र प्रस्ताव तैयार करने का निदेश दिया गया।

संग्रहालय निदेशालय

10. विभिन्न राजकीय संग्रहालयों में टिकटघर का निर्माण संग्रहालय परिसर में उपलब्ध जगह को चिन्हित करते हुए टिकटघर का निर्माण सक्षम प्राधिकार से अनुमोदनोपरांत करने का निदेश दिया गया।

11. छपरा संग्रहालय, छपरा के परिसर में ढ़ाई आखर भवन की स्थिति अत्यंत जर्जर है उसे तोड़कर संग्रहालय को समर्पित करने हेतु जिला पदाधिकारी, छपरा को पत्र देने तथा छपरा संग्रहालय, छपरा के सम्मुख भाग को आकर्षक बनाने का निदेश दिया गया।

12. बेतिया और पूर्णिया में संग्रहालय के निर्माण करने के लिए भूमि उपलब्ध कराने के लिए जिला पदाधिकारी, बेतिया एवं पूर्णिया को स्मार पत्र देने का निदेश दिया गया।

13. बुद्ध सम्यक दर्शन–सह–स्मृति स्तूप, वैशाली को सुचारू रूप से संचालन कराने हेतु शीध्र संचालन समिति गठित करने का निदेश दिया गया।

14. अंतराष्ट्रीय बौद्ध कॉन्क्लेव, वैशाली में आयोजित कराने हेतु एक आयोजन समिति बनाने तथा संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार के पदाधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित कर कॉन्क्लेव को सफल बनाने का निदेश निदेशक, संग्रहालय को दिया गया।

15. बुद्ध सम्यक् दर्शन संग्रहालय सह स्मृति स्तूप, वैशाली के पुस्तकालय में रखे जाने वाले पुस्तकों को मंगाने हेतु आवश्यक कार्रवाई करने का निदेश संग्रहालयाध्यक्ष, वैशाली को दिया गया।

16. राज्य के छः संग्रहालयों यथा–छपरा संग्रहालय, छपरा, चंद्रधारी संग्रहालय, दरभंगा, भागलपुर संग्रहालय, भागलपुर, गया संग्रहालय, गया, रामचंद्रशाही संग्रहालय, मुजफ्फरपुर एवं लखीसराय संग्रहालय, लखीसराय में आगंतुकों की संख्या बढ़ाने हेतु VR System लगाने का निदेश दिया गया। साथ ही इन संग्रहालयों में ई–लाईबेरी स्थापित करने का भी निदेश दिया गया।

17. सभी संग्रहालयों में Accession Register को कलाकृतियों का फोटोयुक्त अद्यतन करने का निदेश दिया गया तथा जिला कला एवं संस्कृति पदाधिकारियों एवं नेहरू युवा

केन्द्र के पदाधिकारियों को संग्रहालयों में Activity यथा–वाद–विवाद प्रतियोगिता, शैक्षणिक कार्यक्रम कराने हेतु पत्र प्रेषित करने का निदेश दिया गया।

18. संग्रहालय एवं पुरातत्व निदेशालय में रिक्त पदों को भरने हेतु सीधी भर्ती हेतु आवश्यक कार्रवाई करने का निदेश दिया गया। साथ ही तत्काल विज्ञापन के माध्यम से संविदा के आधार पर रिक्त पदों पर नियोजित करने का निदेश दिया गया।

सांस्कृतिक निदेशालय।

19. मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना के अंतर्गत 28 कलाकारों का आवेदन प्राप्त हुआ है जिसका यथाशीघ्र समिति गठित कर दिनांक–25.09.2025 तक पेंशन देने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए साथ ही जिन जिलों से आवेदन प्राप्त नहीं हुए है या कम प्राप्त हुए है उन्हें पुनः स्मारित करने का निदेश दिया गया।

20. मुख्यमंत्री गुरू शिष्य परम्परा के अंतर्गत प्राप्त 160 आवेदनों की समीक्षा हेतु एक समिति बनाकर आवेदनों की जाँच प्रारंभ किया जाए तथा योजनान्तर्गत पुनः आवेदन आमंत्रित करने की तिथि को दिनांक 06.10.2025 तक विस्तारित किया जाय। इस बीच एक से दो बार संबंधित विषय पर विज्ञापन भी प्रकाशित कराने का निदेश दिया गया।

21. अटल कला भवन के निर्माण के संबंध में निदेशित किया गया की जिन जिलों से आवेदन प्राप्त हुए है परंतु भूमि कम होने के कारण समस्या आ रही है वैसे सभी जिलों के प्रस्ताव पर निर्णय हेतु अधोहस्ताक्षरी से विमर्श करते हुए संचिका उपस्थापित करने का निदेश दिया गया।

22. कलाग्राम निर्माण के संबंध में Expression of Interest आमंत्रित करने का निदेश दिया गया।

23. गाँधी मैदान में 15 (पन्द्रह) दिवसीय कला बाजार के आयोजन हेतु स्थल चिन्हित करते हुए दिनांक 15.12.2025 से 31.12.2025 या 01.02.2026 से 15.02.2026 के बीच स्थल आरक्षित करने हेतु आवश्यक कार्रवाई करने तथा संबंधित विषय पर विस्तृत योजना तैयार कर प्रतिदिन संध्या में सांस्कृतिक कार्यक्रम को भी सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया।

24. दानापुर (पटना) स्थित ललित नगर, रंग भवन के निर्माण हेतु अग्रेतर कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।

25. पटना स्थित भारती मंडपम जहाँ पाँच राज्यों का सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजन नियमित रूप से किए जाते हैं का भ्रमण करते हुए आवश्यकतानुसार जीर्णोद्धार का आकलन तैयार कर उपलबध कराने का निदेश दिया गया।

26. राज्यों में TOIFA के आयोजन हेतु पुनः संचिका वित्त विभाग के पृच्छा के आलोक में उत्तर तैयार करते हुए भेजने का निदेश दिया गया।

27. भारतीय नृत्य कला मंदिर, पटना का ओपन थियेटर में माह नवम्बर 2025 से मार्च 2026 तक कम से कम 10 कार्यक्रम कराने का निदश दिया गया एवं सभी निदेशालयों को इसमें कार्यक्रम आयोजित करने का निदेश दिया गया।

स्थापना

28. विभाग में नये प्रशाखा का गठन हो चुका है लेकिन सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार द्वारा नये प्रशाखा में अभी तक किसी पदाधिकारी/कर्मचारी का पदस्थापन नहीं होने के कारण प्रशाखा का कार्य अभी तक कार्य प्रारंभ नहीं हो सका है। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार को पदाधिकारी/कर्मचारी का पदस्थापन करने हेतु पत्र भेजने का निदेश दिया गया।

सधन्यवाद बैठक समाप्त हुई।

ह०/–

(प्रणव कुमार) भा.प्र.से.
सरकार के सचिव,
कला, संस्कृति एवं युवा विभाग।

ज्ञापांक 1783 /   पटना, दिनांक 22/9/ /2025

प्रतिलिपिः–सभी निदेशक/संयुक्त सचिव/मा० मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के आप्त सचिव/आंतरिक वित्तीय सलाहकार/उप सचिव/कार्यपालक अभियंता/संग्रहालयाध्यक्ष, वैशाली/क्षेत्रीय उप निदेशक/महाप्रबंधक, बिहार राज्य फिल्म विकास एवं वित्त निगम, पटना /परामर्शी (फिल्म)/सहायक संग्रहालयाध्यक्ष, लखीसराय/सभी प्रशाखा पदाधिकारी/विभागीय पी०एम०यू०लीड/जिला कला संस्कृति पदाधिकारी, लखीसराय/आई0 टी0 प्रबंधक, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(रूबी)
सरकार के संयुक्त सचिव।